

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ऑफ़ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 2712376

Email ID- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक : समसा/जय/AS/2018-19/7872

दिनांक : 25/10/18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय:- पुस्तकालय अनुदान के राशि उपयोग करने के संबंध में पत्रक दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- एमएचआरडी का पत्रांक F.No.17-3/2018-1S-5 दिनांक 03.10.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने विद्यार्थियों की अभिरुचिपूर्ण पुस्तकों को संगृहित कर पुस्तकालय अनुदान से संबंधित राशि के उपयोग हेतु संभावित (Indicative & Suggestive) पुस्तकों की सूची जारी की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा पूर्व में जारी विस्तृत दिशा निर्देश क्रमांक राप्राशिप/जय/औशि/ दिशा-निर्देश/पुस्त.अनु./2018-19/7183 दिनांक 04.10.2018 की पालना के साथ स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त लाइब्रेरी ग्रांट के दिशा निर्देश मूल ही भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न: एमएचआरडी द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं पुस्तक सूची

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक,

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I/II) समसा, जयपुर।
6. उपायुक्त, (शाला दर्पण/ शाला दर्शन), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. लेखा शाखा, समसा, समस्त जिले।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,